बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

सन्दर्भ :– बु0वि0/सम्ब0/2023/2418 दिनाँकः– 18/05/2023

संम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) की धारा 37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा दिनांक 09.05.2023 एवं विश्वविद्यालय अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 09.05.2023 एवं कार्य परिषद की तत्सम्बन्धी अनुमति की प्रत्याशा में पं0 रामस्वरूप उपाध्याय महाविद्यालय, हुसैनपुरकलां, गिरवां, बांदा को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कला संकाय में स्नातक स्तर पर बी0ए0 अतिरिक्त विषय–शिक्षाशास्त्र, राजनीतविज्ञान, समाजशास्त्र विषयों/पाठयक्रमों में दिनांक 1/7/2023 से आगामी तीन वर्ष हेतु तथा परास्नातक स्तर पर एम0ए0–गृहविज्ञान एवं हिन्दी विषयों/पाठयक्रमों में दिनांक 01/7/2023 से आगामी दो वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. संस्था/महाविद्यालय के सम्बन्ध मे इंगित कमियों (यथा अग्निशमन मानकानुसार नही है आदि) की पूर्ति कर परिनियम में उल्लिखित व्यवस्था अनुरूप समयान्तर्गत कक्षा संचालन (Starting the class) की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. **यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नही है। परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting the Class) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।**
4. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली मे वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णत एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वत: समाप्त हो जायेगी।
6. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार–कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत् शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।
7. प्रत्येक वर्ष AISHE के PORTAL पर DCF-II से सम्बन्धित सूचनाएँ अपलोड कराना अनिवार्य होगा।
8. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 61859/2012 मे पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन मे मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। कक्षा संचालन पूर्व संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदन कराते हुए नियुक्ति, अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से एक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।
9. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या 421/सत्तर–1–2015–16(20)/2011 दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार प्रवेश प्रकिया सुनिश्चित की जायेगी।
11. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

12-College must take Sincere intrest and ensure accreditation from NAAC, Bangalore on a priority basis.

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. प्रबन्धक, पं0 रामस्वरूप उपाध्याय महाविद्यालय, हुसैनपुरकलां, गिरवां, बांदा।
2. परीक्षा नियंत्रक, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
3. आशुलिपिक, सम्बद्धता विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र शासन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P.)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

संदर्भ ...... प्रशा.-3.अ/(संब.)/2019/706

दिनाँक 30/6/19

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव,
पं० रामस्वरूप उपाध्याय महाविद्यालय,
हुसेनपुरकला, बांदा

विषयः– पं० रामस्वरूप उपाध्याय महाविद्यालय, हुसेनपुरकला, बांदा को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर बी०ए०– हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, सैन्यविज्ञान, गृहविज्ञान, इतिहास, एवं अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य संकाय में बी०कॉम दिनांक 01.07.2019 से सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्वता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्वता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्रावधानों के आलोक में तथा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के पत्र स0 सम्ब0–1146 / सत्तर–2–2014–16(258) / 2013 दिनांक 01 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देशानुसार पं0 रामस्वरूप उपाध्याय महाविद्यालय, हुसेनपुरकला, बांदा को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर बी०ए०– हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, सैन्यविज्ञान, गृहविज्ञान, इतिहास, एवं अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य संकाय में बी0कॉम विषयों / पाठयकमों में सम्बद्वता प्रदान करने के लिये कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित सम्बद्वता समिति की बैठक दिनांक 26 / 06 / 2019 में निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत वेतन भुगतान का विवरण एवं आधर कार्ड की प्रति प्रस्तुत की गयी। निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शिक्षकों के आधार कार्ड की प्रमाणित छायाप्रतियों, पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों तथा कार्यालयी टीप का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त सम्बद्वता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी द्वारा **पं0 रामस्वरूप उपाध्याय महाविद्यालय, हुसेनपुरकला, बांदा को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर बी०ए०– हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, सैन्यविज्ञान, गृहविज्ञान, इतिहास, एवं अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य संकाय में बी0कॉम** विषयों / पाठयकमों में दिनांक 01.07.2019 से सम्बद्वता की सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. महाविद्यालय विश्वविद्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्वता की शर्तें पूरी कर रहा है।
2. महाविद्यालय विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष अग्निशमन विभाग के नियमों के अनुसार अग्निशमन प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराते हुए प्रस्तुत करेगा।
3. महाविद्यालय मानकानुसार अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण आख्या, फोटोयुक्त (प्रबन्धक / सचिव तथा सम्बन्धित शिक्षक) अनुबन्ध पत्र जिसमें अनुबन्ध की अवधि तथा देय वेतन का स्पष्ट उल्लेख हो, बैंक खाता संख्या का विवरण ऑनलाइन करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
4. महाविद्यालय कार्यपरिषद के निर्णयानुसार सभी कक्षों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाकर उन्हें विश्वविद्यालय के नियन्त्रण कक्ष से इण्टरनेट के माध्यम से जोड़ कर तदनुसार सिस्टम एनालिस्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त करायेगा।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P.)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

संदर्भ.................... दिनाँक..................

5. उक्त महाविद्यालय शासनादेश स0 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा। माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका स0 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश स0-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का भलीभांति अनुपालन तथा अनुमोदित शिक्षकों के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगा।
6. महाविद्यालय को सम्बद्वता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित थी अथवा ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्वता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्वता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतन्त्र का होगा।
7. सम्बन्धित महाविद्यालय को 100 रूपयें के शपथ पत्र पर महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों, व्याख्यान कक्षों व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों में सम्बद्वता प्रदान की गयी है, वहां इस आशय का शपथ पत्र वांछित है कि स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों में पृथक-पृथक प्रयोगशाला है, जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुसज्जित है।
8. यदि महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं विश्वविद्यालय परिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा समय-समय पर शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में विहित प्राविधानों के अर्न्तगत महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्वता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

(नारायण प्रसाद)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी।
4. परीक्षा नियंत्रक, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
5. समाज कल्याण अधिकारी, बांदा।
6. डा0 दीपक तोमर, सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र महाविद्यालय के कॉलेज लॉगइन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
8. कुलसचिव के आशुलिपिक।

कुलसचिव

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :– बु0वि0/सम्ब0/2016/अ/1822 – 1829 दिनांक :– 30/5/2016

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
पं0 रामस्वरूप उपाध्याय महाविद्यालय,
हुसेनपुराकलां, बांदा।

विषय:– स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित पं0 रामस्वरूप उपाध्याय महाविद्यालय, हुसेनपुराकलां, बांदा को स्नातक स्तर पर कला संकाय में बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र) एवं वाणिज्य संकाय में बी0कॉम विषय/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2016 से सशर्त सम्बद्धता की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्रावधानों के आलोक में तथा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के पत्र स0 सम्ब0–1146/सत्तर–2–2014–16(258)/2013 दिनांक 01 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देशानुसार तथा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014, (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) में दी गयी व्यवस्था के अधीन पं0 रामस्वरूप उपाध्याय महाविद्यालय, हुसेनपुराकलां, बांदा को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र) एवं वाणिज्य संकाय में बी0कॉम विषय/पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति प्रदान करने के लिये दिनांक 30.05.2016 को कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित सम्बद्धता समिति की बैठक में निरीक्षण मण्डल की आख्या में की गई संस्तुति का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा निम्नलिखित कमियां इंगित की गई है :–

1. प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं है।
2. प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्राचार्य/प्रवक्ता अनुमोदित नहीं है।

सम्बद्धता समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी ने स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत पं0 रामस्वरूप उपाध्याय महाविद्यालय, हुसेनपुराकलां, बांदा को स्नातक स्तर पर कला संकाय में बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र) एवं वाणिज्य संकाय में बी0कॉम पाठ्यक्रम/विषय में दिनांक 01.07.2016 से आगामी तीन वर्ष के लिए सशर्त सम्बद्धता की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की है :–

1. महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों को प्रत्येक दशा में एक माह के भीतर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को संसूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
2. महाविद्यालय विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष अग्निशमन विभाग के नियमों के अनुसार अग्निशमन प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराते हुए प्रस्तुत करेगा।
3. महाविद्यालय विश्वविद्यालय के मानकानुसार अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण आख्या, फोटोयुक्त (प्रबन्धक/सचिव तथा सम्बन्धित शिक्षक) अनुबन्ध पत्र जिसमें अनुबन्ध की अवधि तथा देय वेतन का स्पष्ट उल्लेख हो, बैंक खाता संख्या का विवरण ऑनलाइन करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
4. महाविद्यालय कार्यपरिषद के निर्णयानुसार सभी कक्षों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाकर उन्हें विश्वविद्यालय के नियन्त्रण कक्ष से इण्टरनेट के माध्यम से जोड़ कर तदनुसार सिस्टम एनालिस्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त करायेगा।
5. उक्त महाविद्यालय शासनादेश स0 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा। माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका स0

प्रबन्धक
पं० रामस्वरुप उपाध्याय महाविद्यालय
हुसेनपुरकलाँ (बाँदा)

61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश स0–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का भलीभांति अनुपालन तथा अनुमोदित शिक्षकों के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगा।

6. महाविद्यालय को सम्बद्वता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित थी अथवा ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्वता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्वता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतन्त्र का होगा।

7. समस्त महाविद्यालयों को 100 रूपयें के शपथ पत्र पर महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों, व्याख्यान कक्षों व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों में सम्बद्वता प्रदान की गयी है, वहां इस आशय का शपथ पत्र वांछित है कि स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों में पृथक–पृथक प्रयोगशाला है, जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुसज्जित है।

8. यदि महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं विश्वविद्यालय परिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा समय–समय पर शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्वता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(व्यास नारायण सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी।
4. समाज कल्याण अधिकारी, बांदा।
5. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)।
6. डा0 दीपक तोमर, सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र महाविद्यालय के कॉलेज लॉगइन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
8. कुलसचिव के आशुलिपिक।

कुलसचिव

प्रबन्धक
पं० रामस्वरुप उपाध्याय महाविद्यालय
हसेनपरकलाँ (बाँदा)